

राज्यपाल सचिवालय, बिहार
(जन-सम्पर्क शाखा)
राजभवन, पटना—800022

ई—मेल—prrajbhavan@gmail.com
मो.—9431283596

प्रेस—विज्ञप्ति

**राज्यपाल—सह—कुलाधिपति ने राज्य के तीन विश्वविद्यालयों के लिए
नये कुलपति / प्रतिकुलपति नियुक्ति किये**

पटना, 19 मार्च 2018

महामहिम राज्यपाल—सह—कुलाधिपति श्री सत्य पाल मलिक ने 'बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976' (अद्यतन यथासंशोधित) की सुसंगत धाराओं में अंतर्निहित अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नांकित तीन नये विश्वविद्यालयों के लिए कुलपति एवं प्रतिकुलपति पद के लिए नियुक्ति दी है।

कुलाधिपति ने इन तीनों विश्वविद्यालयों के कुलपतियों/प्रतिकुलपतियों की नियुक्ति के लिए गठित 'सर्व कमिटी' की अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार से प्रभावी एवं सार्थक विमर्श के बाद निम्नांकित शिक्षाविदों को कुलपति / प्रतिकुलपति के रूप में नियुक्त किया है:—

विश्वविद्यालय का नाम	पद का नाम	नवनियुक्त कुलपति / प्रतिकुलपति का नाम
पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना	कुलपति	प्रो. गुलाब चन्द राम जायसवाल
पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना	प्रतिकुलपति	प्रो. गिरीश कुमार चौधरी
मुंगेर विश्वविद्यालय, मुंगेर	कुलपति	प्रो. रंजीत कुमार वर्मा
मुंगेर विश्वविद्यालय, मुंगेर	प्रतिकुलपति	प्रो. कुसुम कुमारी
पूर्णिया विश्वविद्यालय, पूर्णिया	कुलपति	प्रो. राजेश सिंह
पूर्णिया विश्वविद्यालय, पूर्णिया	प्रतिकुलपति	प्रो. प्रभात कुमार सिंह

नव—नियुक्त कुलपतियों/प्रतिकुलपतियों का कार्यकाल उनके प्रभार—ग्रहण की तिथि से प्रारंभ होकर तीन वर्षों का होगा।